8

भारत में स्वैच्छिक क्रिया और समाज कार्य

* संजय भट्टाचार्य

प्रस्तावना

सामान्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा स्वतन्त्र रूप से की गई पहले स्वैच्छिक क्रिया के अर्थ को परिलक्षित करती है। लार्ड बेवरिज ने कहा कि स्वैच्छिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो कि राज्य द्वारा निर्देशित अथवा नियन्त्रित नहा होती है वह इसे सामाजिक प्रगति के लिए निजी उद्यम कहते हैं। इस प्रकार से स्वैच्छिक संगठन अथवा संस्था वह है जो कि किसी बाह्य नियन्त्रण द्वारा संप्रेरित अथवा नियन्त्रित नहीं होती है बल्कि अपने सदस्यों द्वारा होती है। स्वैच्छिक क्रिया समुदाय अथवा समाज के एक वर्ग द्वारा आवश्यकता के पर्यवेक्षण, इस बात को मूल्यांकन की आवश्यकता को पूर्ण किया जा सकता है, तथा आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपने को गतिमान बनाने के अपने कर्तव्य के प्रति अपनी तैयारी पूर्णकल्पना करती है प्रजातन्त्र के स्वस्थ कार्य सम्पादन के लिए इस प्रकृति की स्वैच्छिक क्रिया का उच्चतम स्तर का महत्व होता है। यह समुदाय के समक्ष नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण की भूमि के रूप में सेवा करती है तथा सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को लगातार विस्तृत करने में सहायता करती है। यह नागरिकों को अपने सामाजिक एवं नागरिक उत्तरदायित्वों की स्वीकृति को आगे बढ़ाती है। तथा सहयोगपूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए सीखने का अवसर उन्हें उपलब्ध कराती है। अब स्वैच्छिक क्रिया के कुल लाभ एवं हानि के विषय में विचार किया जाए। स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रमुख कार्य मार्ग दिखाना रहा है जिसने प्रयोग करने की अनुमति दी है। इससे उन्हें विवादास्पद क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ की स्वतन्त्रता है। हमारे देश में भी यह स्वैच्छिक क्रिया ही थी जिसने आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य किया तथा इस कार्य को तब तक जारी रखा जब तक कि विशेष सेवाओं को संपन्न करने के लिए विधिक संस्थाओं की स्थापना नहीं हो गयी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, विशेष राजनीतिक प्रवृत्तियों से स्वतन्त्रता की सापेक्ष मात्रा की स्वतन्त्रता जो कि विधिक संगठनों को प्राप्त नहीं है। स्वैच्छिक क्रिया अधिक लचीली तथा नौकरशाही कठोरता से मुक्त भी होती है। इसके अतिरिक्त इसे जन सहयोग को सुनिश्चित करने का भी लाभ प्राप्त होता है स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के कार्य के अधिक

* संजय भट्टाचार्य, बीएसएस, भोपाल

ाग को सम्पन्न करन के तथ्य के कारण इन संस्थाओं की क्रियात्मक लागतें न्यूनतम होती है।

संभवतः इन संस्थाओं की सबसे सामान्य सीमा जो सामने आती है वह है इनके पास सीमित संसाधनों का होना। यत्रतत्रिक चरित्र वाली स्वैच्छिक क्रिया अस्थिरता की ओर ले जाती है। वित्तीय दृष्टि से, स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि ये जन सहयोग, राज्य अनुदानों एवं सहायता पर निर्भर करती हैं तथा भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत अधिकांश समाज कार्यकर्ताओं के भुगतान की मात्रा कम होती है।

स्वैच्छिक क्रिया और समाजकार्य के मध्य अवधारणात्मक स्पष्टीकरण

स्वैच्छिक क्रिया शब्द सामान्य रूप से उस क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे व्यक्ति प्रमुख रूप से राज्य से परे रहकर स्वतन्त्रता के साथ सम्पन्न करता है।

स्वैच्छिक क्रिया की परिभाषा

लार्ड बेवरिज़ के अनुसार "यहाँ पर स्वैच्छिक क्रिया शब्द का अर्थ है निजी क्रिया, ऐसा कहा जाता है कि यह क्रिया ऐसे प्राधिकारी के निर्देशन में सम्पन्न होती है जो राज्य की शक्ति नहीं रखते हैं" इस परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्वैच्छिक क्रिया का विषय क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत हो जाता है तथा इसलिए वह अपनी क्रया को उसी सीमा तक सीमित रखता है जो लोगों के लिए समाज के विकास के लिए होती है। इसका विषय है अपनी तथा अपने साथियों की दशाओं में सुधार के लिए अपने घर के बाहर स्वैच्छिक क्रिया करना जो सार्वजनिक नियन्त्रण से स्वतन्त्र है। यह निजी उद्यम व्यवसाय मे नहा बाल्क मानवता की सेवा में है, यह लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक अंतःकरण की प्रेरक शक्ति है।

स्वैच्छिक क्रिया की प्रकृति

स्वैच्छिक कार्यकर्ता के सन्दर्भ में लार्ड बेवरिज़ ने कहा है कि एक स्वैच्छिक कार्यकर्ता वह है जिसने एक अच्छे कार्य के लिए बिना किसी प्रकार के भुगतान के सेवा की है तथा इस अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस समूह का गठन किया जाता है वह स्वैच्छिक संगठन के नाम से जाना जाता है। वह आगे कहते हैं कि वर्तमान के वर्षों

में इन अवधारणाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इन दिनों, कई अत्यधिक सक्रिय स्वैच्छिक संगठन पूर्णरूपेण उच्च प्रशिक्षित एवं न्यायसंगत रूप से अच्छे भुगतान पाने वाले व्यावसायिक कार्यकर्ताओं से युक्त हैं इन संगठनों का विशिष्ट स्वैच्छिक चरित्र इस बात से उजागर नहीं होता कि उनमें किस प्रकार के कार्यकर्ता नौकरी करते हैं बल्कि उनके उदगम एवं प्रशासन के ढंग से होता है।

समाजकार्य एवं स्वैच्छिक क्रिया

समाजकार्य विभिन्न विधानों द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है। यह सम्पूर्ण समुदाय की खुशहाली में अन्याय के विरूद्ध संरक्षण उपलब्ध कराकर तथा सामाजिक अभिरूचि के अनुरूप कार्य न करने वाले व्यक्तियों को दण्डित करके अभिवृद्धि करता है इसके अतिरिक्त सामाजिक विधान अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज़ प्रथा, सती, देवदासी प्रथा एवं अन्य विभिन्न सामाजिक समस्याओं से निपटने का कार्य करते हैं और इस प्रकार एक पूर्ण समुदाय के निर्माण में सहायक होते हैं। एक शक्ति के रूप में सामाजिक सेवा के उदीयमान नवीन विचार तथा अभिवृद्धि अथवा योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन एंव विकास के सयंत्र ने व्यावसायिक समाजकार्य क्रिया के विषय–क्षेत्र को बढ़ाया है जो परम्परागत रूप से बाल एवं महिला कल्याण, चिकित्सकीय एवं मनश्चिकित्सकीय समाजकार्य विद्यालय से संबंधित समाजकार्य, सुधार एवं समूह सेवाएँ जैसे क्षेत्रों से संबंधित रहा है। इस अतिरिक्त समाजकार्य ने गरीबी तथा आधुनिक समाज की समस्याओं से लड़ने के लिए अन्य विद्याविशेषों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के नवीन उत्तरदायित्वों को भी अपने साथ जोड़ा है।

स्वैच्छिक संगठन

वास्तव में एक स्वैच्छिक संगठन जिसमें कार्यकर्ता भुगतान पाते है। अथवा नहीं पाते हैं एक ऐसा संगठन है जिसमें इसके सदस्य पहल करते हैं तथा उनहीं के द्वारा बिना किसी बाहरी नियंत्रण के शासित होता है। स्वैच्छिक क्रिया की स्वतन्त्रता का अर्थ किसी भी प्रकार से यह नहीं होता कि इसके मध्य सहयोग की तथा जनक्रिया की कमी है। परन्तु स्वैच्छिक क्रिया का अर्थ होता है कि इस करने वाली संस्था की अपनी स्वयं की इच्छा एवं जीवन है। समाज सेवा की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार एक स्वैच्छिक सामाजिक क्रिया को सामान्य रूप से समुदाय की भलाई हेतु अध्यन एवं कार्य करने के लिए संयुक्त रूप से साथ–साथ कार्य करने वाले व्यक्तिओं के स्वशासित संगठन की क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

समाज कार्यकर्ता और लोग

समाजकार्यकर्ता सेवार्थियों के साथ विभिन्न स्तरों व्यक्ति एवं परिवार के सूक्ष्म स्तर पर; समुदाय के मध्यवर्ती स्तर, ताकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के वृहद स्तर पर कार्य करते हैं। समाज कार्यकार्ताओं द्वारा समस्त स्तरों पर मानव अधिकारो के लिए चिन्ता स्पष्ट की जाती है। सभी समयों में समाजकार्य वैयक्तिक एवं सामूहिक आवश्यकताओं के संरक्षण के साथ सम्बद्ध रहा है। यह सदैव व्यक्तियों एवं राज्य तथा अन्य प्राधिकरणों के मध्य मध्यस्थता करने, कुछ प्रकारणों का समर्थन करने तथा इनका सहयोग करने, जब कि राज्य की क्रिया द्वारा व्यक्तियों और/अथवा समूहों के अधिकर एवं स्वतंत्रता को चुनौती दी जाती है अथवा अनदेखी की जाती है, के लिए बाध्य रहा है। अन्य व्यावसायिकों से अधिक समाजकार्य शिक्षक एवं व्यवहारकर्ता इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि उनकी सम्बद्धताएँ गहन रूप से मानव अधिकरों से जुड़ी हुई हैं। वे इस परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करते हैं कि मानव अधिकर तथा मौलिक स्वतंत्रताओं को अलग नही किया जा सकता तथा आर्थिक, सामाजिक तथ सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति नगरीय एवं राजनीतिक अधिकारों की उपलब्धता के बिना संभव नही है।

अंतःक्षेप के क्षेत्र एवं स्वैच्छिक क्रिया के परिणाम

यहाँ पर स्वैच्छिक क्रिया को संप्रेरित करने वाले कारकों की जानकारी द्वारा स्वैच्छिक क्रिया के अंतःक्षेप एवं परिणामों, स्वैच्छिक संगठन की वर्तमान स्थिति एवं इसके उद्देश्यों तथा भारतीय सन्दर्भ में स्वैच्छिक सेवाओं के विषय में चर्चा की जाएगी।

स्वैच्छिक क्रिया के प्रेरक कारक

स्वैच्छिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करने वाले कारक अथवा ऐच्छिकता के स्रोतों की पहचान धर्म, सरकार, व्यापार, उपकार, एवं आपसी सहायता के रूप में की जा सकती है। धार्मिक संगठनों की धार्मिक भावना से सम्बन्धित उत्साह, जन अभिरूचि के लिए सरकार की बचनबद्धता, व्यापार में धन कमाने की प्रबल इच्छा, सामाजिक वरिष्ठों, का परहितवाद एवं साथियों के मध्य स्वयं–सहायत की प्रेरणा सभी ऐच्छिकता में प्रतिबिम्बित होती है। बोर्डिलान तथा विलियम वेवरिज़ ने विचार व्यक्त किया है कि आपसी सहायता तथ उपकार ऐसे दो मुख्य स्रोत हैं जहाँ से स्वैच्छिक समाज सेवा संगठनों का विकास हुआ है। वे क्रमशः व्यक्ति एवं सामाजिक अन्तःकरण से उत्पन्न होते हैं। अन्य कारक लाभ प्राप्त करने की व्यक्तिगत अभिरूचि हो सकता है जैसे कि अनुभव, पहचान, ज्ञान एवं प्रतिष्ठा, कुछ मूल्यों की बचनबद्धता इत्यादि।

आगे, स्वयं की एंव समाज के भाग्यहीन साथियों की सेवा क लिए स्वैच्छिक संघों का समूह बनाने अथवा इनका गठन करने की प्रवत्तियों से युक्त एक वृहद प्रकार का आन्दोलन सामने आया। प्रजातंत्र में स्वैच्छिक संगठन राजनीतिक सामाजीकरण के मजबूत अभिकर्ता होते हैं तथा सामाजिक मानकों एवं मूल्यों के विषय में अपने सदस्यों को शिक्षित करते हैं एवं एकाकीपन को दूर करते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वयं प्रकटन एवं अभिरूचियों के सन्तोष हेतु स्वैच्छिक क्रिया से जुड़ने की प्रेरणा देती हैं। इस प्रकार से, स्वैच्छिक संघ से जुड़ने का मनोविज्ञान एक जटिल घटना है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति एवं व्यक्तियों के एक समूह से दूसरे समूह को उनकी संस्कृति, उनके सामाजिक परिवेश एवं उनके राजनीतिक वातावरण पर निर्भर करते हुए रूपान्तरित हो सकती है।

स्वैच्छिक संगठन एक दृष्टि में

अधिकांशतः स्वैच्छिक क्रिया सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा जनित होती हैं। व्यक्तियों की सहायता के लिए अपील करने वाले संगठनों द्वारा इसे संभव बनाया गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि स्वैच्छिक कार्यकर्ता सदैव एक विशेष संगठन में अथवा इसके द्वारा कार्य करते हैं भारत में सामान्यतया आधे से अधिक संगठनों के मुख्य कार्यालय दिल्ली में है तथा बाकी बचे हुए कार्यालय मुख्यतया मुम्बई में स्थित हैं। शताब्दी के परिवर्त होने के साथ कुछ लोगों का विश्वास है कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों तथा आन्दोलनों से निपटने के लिए राजनीतिक स्थितियों की ओर परिवर्तित होने के विश्वास में बढ़ोत्तरी हो रही है।

सामाजिक खण्ड क्षेत्र की स्थिति अभी भी अधिकांशतः स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रम के रूप में सामने आती है। देश में स्वैच्छिक संगठनों की कुल संख्याके विषय में पूर्ण एवं विश्वनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इनमें से कई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा अपने संसाधनों से कार्यरत हैं। इनमें कुछ बहुत सी क्रियाओं को संपन्न करते हुए सम्पूर्ण भारत के स्तर पर कार्यरत संगठन हैं तथा कुछ राज्य अथवा जिला स्तरों पर कार्यरत हैं। इस समय भारत में विभिन्न विषयों के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की एक बहुत बड़ी संख्या है। वे विभिन्न राजनीतिक एंव अन्य अभिरूचियों वाले समूहों एवं व्यक्तियों की सहायता करते हैं, राष्ट्रीय घनिष्टता की भावना को शक्तिशाली बनाने में योगदान देते है तथा प्रजातंत्र के सहभागी चरित्र को उजागर करते हैं। वे केवल स्वीकृत राज्य उत्तर+दायित्वों में ही अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं बल्कि नए क्षेत्रों के

अंतर्गत साहसिक कदम उठा सकते हैं, नए क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, सामाजिव बुराईयों से पर्दा हटा सकते हैं तथा कुछ ध्यान न दी गई एवं अपूर्ण आवश्यकर्ताओं पर ध्यान दे सकते हैं। बहुत से गैर सरकारी संगठन ऐसे समूहों के साथ व्यक्तियों को कटिबद्ध करके एक स्थिरता लाने वाली शक्ति पर कब्जा करने में किसी राजनीतिक दल के भाग्य के विषय में सम्बद्धता नहीं रखते हैं।, परन्तु वे राजनीतिक दलो की राजनीति से परे होते हैं एवं राष्ट्रनिर्माण के अन्य क्षेत्रों में अपने को लगाते हैं। एवं इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण तथा गैर–राजनीतिक मुद्दों में अपना योगदान देते हैं। कैरिटस इण्डिया, एन.बी.ए. इत्यादि के लिए संघर्षरत हैं।

सरकार द्वारा संगठित गैर–सरकारी संगठन भी हैं जैसे महिला मण्डल, युवा क्लब, सहकारी समितियाँ, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र एवं मृतक नेताओं के नाम पर गठित ट्रस्टों के रूप में अर्द्धसरकारी प्रयोजित संगठन भी है जैसे कि कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट, गांधी स्मारक निधि, नेहरू एंव कमल नेहरू ट्रस्ट, इन्दिरा गांधी ट्रस्ट एवं शीघ्र ही गठित किया गया राजीव गांधी फाउण्डेशन ऐसे कई उदाहरण भी हैं जबकि भारतीय गैर संगठनों द्वारा कुछ विकास परियोजनाओं का प्रतिरोध किया गया। तथा इन्हें सफलतापूर्वक रोका गया। इस तरह के अच्छे उदारहणों में हिमालय पर्वत श्रंखलाओं को 'चिपको' आन्दोलन; कर्नाटक का 'अपिको' आन्दोलन, केरल का 'वेस्ट घाट एवं सेव साइलेण्ट वैली' आन्दोलन, 'नर्मदा बचाओ' आन्दोलन इतयादि हैं। ऐसे कई स्थान है जहाँ पर औद्योगिक क्रिया के परिणामस्वरूप पर्यावरण का क्षरण हो रहा है तथा इस क्षरण को रोकने के कार्य को सम्पन्न करने हेतु बहुत से संगठन कार्यरत हैं। ये गैर सरकारी संगठन अत्यन्त कष्टों एवं कठिनाइयो के अंतर्गत कार्यरत हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर व्यक्तिगत रूप से अकेले कार्यरत हैं। इस प्रकार से, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वर्तमान समय में कार्यरत पर्यावरणीय समूहों को सक्रिय बनाने तथा सामूहिक रूप से चेतना उत्पन्न करने तथा सामान्य प्रकारण के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए राज्य अथवा क्षेत्र स्तर पर इन गैर–सरकारी संगठनों को एक फेडरेशन स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। चन्डीगढ़ स्थित इन्वायरनमेंट सोसाइटी, एक क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठन, वर्तमान समय में स्थित कुछ समूहों को सक्रिय बनाने में सक्षम हुई है तथा पंजाब, हरियाणा, हिमांचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर में ऐसी कई संस्थाओं को स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। इस प्रकार से, गैर–सरकारी संगठनों की अधिकाधिक सम्बद्धता ने बहुत कुछ सीमा तक पर्यावरण तथा विकास सम्बन्धी मुद्दों में अनुरूपता लाने एवं बढ़ाने के लिए प्रयासों में सहायता की है।

स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्य

निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं जिनके लिए विभिन्न संगठन कार्य कर रहे हैं:

- बच्चों का संरक्षण एवं विकास
- ग्रामीण क्षत्रों में महिलाओं का कल्याण
- युवाओं क लिए सेवाएँ
- सामुदायिक कल्याण
- शैक्षिक सुविधाओं की अभिवृद्धि
- सामाजिक समस्याओं पर जन चेतना की अभिवृद्धि
- नैतिक मानक एवं सामाजिक समस्याओं की अभिवृद्ध
- रोग, स्वास्थ्य देख भाल इत्यादि का संरक्षण
- बाधित व्यक्तियों का संरक्षण एवं कल्याण
- कुछ समूहों के लिए सामाजिक बाधाओं का उन्मूलन
- कुछ धार्मिक एवं जातीय समूहों का आध्यात्मिक उन्नयन एवं विकास
- अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे का प्रचार
- स्वैच्छिक प्रयास द्वारा प्राकृतिक अभिरूचियों की अभिवृद्धि
- क्षेत्रीय कार्य के लिए कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण
- प्रकृति, जानवारों इत्यादि का सरंक्षण

भारत में स्वैच्छिक सेवा

सामन्य रूप से इस बात का दावा किया जाता है कि अपनी संस्कृति की तरह प्राचीन भारत में भारतीय स्वैच्छिक संस्थाएँ जानी जाती थीं। भारत में समाज कल्याण का इतिहास एवं विकास प्रमुख रूप से स्वैच्छिक क्रिया का इतिहास है। इसकी जड़े प्रकृति, सामाजिक वातावरण एवं भारतीय व्यक्तियों, जो कि विभिन्न प्रकार के दान देने के कार्यों में विश्वास रखते हैं। लोकाचार में खोजी जा सकती है।

उन्नीसवीं सदी के पूर्व की अवधि में स्वैच्छिक सेवाएँ

उन्नीसवीं सदीके पूर्व की अवधि में स्वैच्छिक सेवाओं के विषय में डा०पी०वी० काणे ने यह कहा था कि "आपातकालीन स्थितियों जैसे कि अकाल, बाढ़, इत्यादि के दौरन मुख्य रूप से धार्मिक मार्गों के बाहर लम्बे स्तर पर स्वैच्छिक क्रिया संपन्न की जाती थी। चीनी यात्री ह्वेन शांग ने कहा था कि भारतीय व्यक्तियों ने थके हुए यात्रियों को छाया उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक रूप से पेड़ लगाए एवं समूहों में समुदाय के लिए तालाबों एवं कुंओं की खुदाई की। मध्यकालीन भारत में समुदायों द्वारा धन एकत्रित करके विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं, निवास के स्थानों एवं पुस्तकालयों की स्थापना की तथा चिकित्सालयों, महाविद्यालयों तथा गरीबो के लिए गृहों के लिए अनुदान का वितरण किया गया। सोलहवीं एवं सत्रहवी सदी के अन्त में भयंकर अकाल पड़ने से वृहद स्तर पर गरीबी में वृद्धि हुई तथा राजाओं ने इस स्थिति से निपटने के लिए उदारतापूर्वक कार्य किया। अठारहवीं सदी के दौरान गरीबी की समस्या को परम्परागत साधनों जैसे व्यक्तिगत परोपकार तथा धार्मिक दान से हल किया गया।

उन्नीसवीं सदीके बाद की अवधि में स्वैच्छिक सेवाएँ

ऐसा प्रतीत होता है कि उन्नीसवीं सदी में तीन दिशाओं में स्वैच्छिक सेवाएँ निहित थी।

- धार्मिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांत–धार्मिक सुधार
- परम्परागत व्यावहारों का क्षेत्र–सामाजिक एवं शास्त्र–पद्धति सम्बन्धी–सामाजिक सुधार।
- शहरीकरण के परिणाम स्वरूप हल की मांग करने वाली नवीन समस्याओं तथा आवश्यकताओं का क्षेत्र–स्वैच्छिक समाज कार्य

इस सदी के अन्तिम भाग में धार्मिक एवं सामाजिक नेताओं, ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों ने स्वैच्छिक आन्दोलनों जैसे कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थ्योसोफिकल आन्दोलन एंव अन्जुम–हिमायत–ईइस्लाम इत्यादि को संगठित किया। बीसवीं सदी के प्रारम्भिक काल में स्वैच्छिक क्रिया को बढ़ावा मिला जबकि पंजीकृत संस्थाओं के रूप में औपचारिक संगठन एवं सरंचना द्वारा इसे संगठित किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी द्वारा मातृभूमि को मुक्त करने के लिए संघर्ष करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में सुधारों के कारण भी स्वैच्छिक क्रिया में आद्वितीय तेजी आयी। महात्मा गांधी द्वारा केंद्रीय सरकार से पूर्व रूपेण स्वतंत्र ग्राम पंचायतों के राजनीतिक अधिकारों के विकेंद्रीकरण द्वारा राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक पहलू में स्वैच्छिकता की शक्ति को पुष्ट

किया गया। स्वैच्छिकता इस प्रकार से भारत के आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन के पुनर्निमाण पर उनकी सोच थी।

गत 20 वर्षों के दौरान भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना हुई है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि स्वतंत्रता की पूर्व अवधि के दौरान अस्तित्व में रहे स्वैच्छिक संगठनों के अतिरिक्त ऐसी लगभग 20,000 संस्थाएँ पूरे देश सम्पूर्ण क्षेत्र में फैली हुई हैं। परन्तु अधिसंख्य रूप में ये संगठन शहरी क्षेत्र में स्थापित हैं तथा कार्य कर रहे हैं। लेकिन , इन स्वैच्छिक संस्थाओं की संख्या का निर्धारण करना तथा उद्देश्यो के अनुसार इनको समूहों में विभाजि करना कठिन कार्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अवधि के पश्चात परम्परागत संस्थाओं के टटने तथा शिक्षा. सामाजिक सधारों. आवश्यकताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कल्याण सेवाओं की अपर्याप्तता, पुनर्वास समस्याओं, अल्पसंख्यक वर्ग की समस्याओं, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों एवं उनके कल्याण इत्यादि के प्रसार के कारण स्वैच्छिक संगठनों की संख्या में उदभुत रूप से वृद्धि देखी गई।

वर्तमान सदी में स्वैच्छिक सेवाएँ

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत नवीन सहत्राब्दि में अपने व्यक्तियों की भलाई के लिए आधारभूत सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को तेजी से लागू करने के द्वार पर खड़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल वर्तमान प्रजातांत्रिक तत्वों एवं प्रक्रियों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है बलिक अधिक धन एवं कल्याण की उत्पत्ति के लिए प्राकृतिक एवं सामाजिक संसाधनों को देर–सबेर रक्षित करने की भी आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि आगे कार्यवाही करने क लिए निर्देश उपलब्ध करने हेतु गत 200 वर्षों में विकसित स्वैच्छक क्रिया की परम्परा को आगे विश्लेषित करने की आवश्यकता है। संरचनात्मक एवं उत्पादक स्वैच्छिक क्रिया हेतु राष्ट्रीय वातावरण के शुद्धीकरण की आवश्यकता है। स्वैच्छिक क्रिया के समक्ष सदैव नए विचार आते रहते हैं। आधुनिक जीवन की जटिल दशाओं से निपटने हेतु विविध एवं स्वैच्छिक दोनों प्रकर की सामूहिक क्रिया का विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध है। स्वैच्छिक क्रिया प्रयोगात्मक, लचीली एवं विकासशील होती है। परिवर्तनशील दशाओं एवं केसों की विभिन्नता से निपटने के लिए यह विधिक प्राधिकरण, इसके सयंत्र एवं ढंगों के साथ अधिक आसानी से सामंजस्य स्थापित करती हैं। प्रयोग करने की, यत्न और भूल की क्षमता सामुदायिक जीवन में अत्यन्त महत्वपूर्ण योग्यताओं में से एक है। स्वैच्छिक क्रियाओं ने केवल राज्य क्रिया हेतु

पथ–प्रदर्शन नहीं किया है बल्कि जब एक सेवा विधिक प्राधिकरण द्वारा वापस ले ली जाती है तो बहुत से केसों में विधिक प्राधिकरण के सहयोग एवं पूर्ण सहमति तथा सहायता के साथ स्वैच्छिक संस्थाएँ महत्वपूर्ण पूरक सहायता उपलब्ध करानी जारी रखती हैं। बीसवीं सदी शिक्षा, जन स्वास्थ्य एवं नैतिक कल्याण तथा बहुत से सामाजिक सहायता के कार्यों जहाँ पर व्यक्तिगत ध्यान देने तथा अच्छे वैयक्तिक कार्य की आवश्यकता है, के क्षेत्रों में इसे बहुत से प्रमाण प्रस्तुत करती है।

स्वैच्छिक क्रिया एवं समाजकार्य की प्रासंगिकता

केन्द्र एवं राज्यों में कल्याण सेवाओं की योजना बनाने एवं इन्हें विकसित करने में व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता द्वारा किए गए योगदान की अत्यधिक मान्यता है। व्यावसायिक समूह के उदय होने से वास्तव में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिकों के मध्य संबंध की सभी सामान्य समस्यायें सामने आयी हैं आगे यह स्थिति अधिक जटिल हो जाती हैं जबकि गैर–व्यावसायिक व्यक्ति व्यावसायिक मूल्यों एवं कुशलताओं में केवल 'असमाजीकृत ही नहीं होता है, परन्तु वह सामन्यतया ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने को स्तर में व्यसावसायिक रूप से वरिष्ठ समझता है क्योंकि वह इस कार्य से अपनी जीविका का निर्वहन नहीं करता है। गैर–सरकारी खण्ड क्षेत्र में व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता का योगदान सीमित होता है। गैर सरकारी खण्ड क्षेत्र में उपलब्ध वेतन क्षेत्र में उत्तम व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करते हैं एवं इसके अतिरिक्त संक्रमण काल इस अवधि में स्वैच्छिक कार्यकारी के कार्यों को लेने के प्रदर्शन (दिखावट) के बिना व्यावसायिक का निर्णयात्मकता के साथ कार्य करना कठिन है।

व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता तथा स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता

व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता कितना भी साधन समपन्न हो, ज़मीनी नेता का स्थान नहीं ले सकता है। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास संस्थागत प्रबन्धन तथा अन्तर्वैयक्तिक एवं अन्तर्समूहिक सम्बन्धों की समस्याओं से निपटने के लिए कुछ ज्ञान का संयंत्र एवं कुशलताएँ होती हैं। निकृष्ट रूप से, वे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि केवल जीविका कमाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उत्कृष्ट रूप से वे ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवसाय एवं सामाजिक उद्देश्य, जिसके वे सदस्य होते हैं, की गरिमा की भावना से युक्त होते हैं। अपने कार्य के लिए भुगतान किए जाने के कारण वे इस स्थिति में होते हैं कि समुदाय द्वारा महसूस की जाने वाली आवययकताओं के निए कुशलतापूर्वक केवल कार्य करने की स्थिति में होते हैं। परन्तु, वे समुदाय को उनकी मूल्य व्यवस्था को प्रभावित

करने वाले पूर्णतया नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। इस अर्थ में वे आन्दोलनों के जन्मदाता एवं नेता नहीं हो सकते हैं। वे समूह को उपदेश देने अथवा इस किसी दोष से सावधान करने के नैतिक अधिकार को प्राप्त नहीं करते हैं।

परन्तु फिर भी व्यावसायिक एवं स्वैच्छिक समाज कार्यकर्ता समाज कार्य के लिए कुछ विशेष योगदान देते हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्ता समाज कार्य के लिए समुदाय की अभिरूचि एवं विश्वास लाते हैं। समाजकार्य एक संस्था है जो कि समाज की अन्य संस्थाओं की पूर्ण एवं प्रभावी कार्यात्मकता को बढ़ाती है। अपनी कुशलताओं एवं ज्ञान का उपयोग करते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति ही समाज कार्यकर्ता की भूमिका है। इसका अर्थ है कार्यकर्ता द्वारा सेवार्थी अथवा समुदाय की स्वीकृति तथा कार्यकर्ता के लिए नैतिक निर्णय लेने का निलम्बन, सेवार्थी अथवा समुदाय की भलाई के लिए वास्तविक चिन्ता एवं ऐसी व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराने की इच्छा जिसके लिए वह सक्षम है। यह व्यावसायिक सहायता कई समयों पर भौतिक सहायता के रूप में हो सकती है, परन्तु अधिक महत्वपूर्ण ढंग से यह सहायता समुदाय को अपने संसाधनों को विकसित एवं उपयोग करने की क्षमता के लिए निर्देशित होती है। इस व्यावसायिक सेवा का उद्देश्य केवल सहायता पहुचाना न होकर पुनर्वास भी करना है। समाज कार्य का एक सफल व्यवहारकर्ता अपने सेवार्थी को स्वयं द्वारा अथवा अन्य संगठनों और व्यवसायों के साथ संबद्ध होकर स्वयं सहायता के लिए योग्य बनाता है। इस प्रकार, समाज कार्यकर्ता, जो कि अपने कार्य के क्षेत्र में विशेषीकृत होता है, एक अलग कार्य करने वाले के रूप में सामने आता है।

स्वैच्छिक क्रिया में समाज कार्यकर्ता की भूमिका उसके अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक होने के लिए प्राप्त प्रशिक्षण एवं मानव संबंधों की निपुणताओं एवं ज्ञान रखने पर आधारित होती है। इस क्षेत्र में उनका विशेष योगदान खोज एवं समाज विज्ञानों का स्पष्टीकरण है क्योंकि वह समुदाय के लाभ के लिए इस कार्य को करने में सक्षम हैं। स्वैच्छिक कार्यकर्ता को सहायता, अभिरूचि एवं सहभागिता को प्राप्त करना एवं उसे रचनात्मक कार्य के लिए अवसरों को उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना व्यावसायिकों का कार्य है। व्यावसायिक व्यक्ति सामाजिक नीतियों के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। मानव अधिकारों से संबंधित मुद्दों को विस्तृत रूप से चर्चा करने के अतिरिक्त, हम कह सकते हैं, कि व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता मानव अधिकारों के उल्लघनों को प्रभावपूर्ण ढ़ग से संरक्षित एवं इनसे बचाव कर सकते हैं क्योंकि वे मानव की गरिमा, स्वतंत्रता एवं उनके मानवीय दृष्टिकोण के ज्ञान में प्रशिक्षित कार्मिक हैं। इसलिए, वे गैर

व्यावसायिक कार्यकर्ताओं की तुलना में मानवाधिकार मुद्दों पर अच्छा दृष्टिकोण रख सकते हैं तथा इस प्रकार से वे अपने ज्ञान एवं व्यावसायिक निपुणताओं के आधार पर अपनी सेवाओं को उपलब्ध करा सकते है।

समाज कल्याण में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका

इस अध्याय के पूर्व में भारतवर्ष के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों के विकास को उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वर्णित किया गया है। अब समाज कल्याण एवं योजनाबद्ध विकास में स्वैच्छिक संगठन की भूमिका पर केन्द्रित किया जाएगा। वास्तव में गांधी जी के चौदह सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम में घोषित सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के साधन एवं सुविधावन्चित तथा दबे हुए व्यक्तियों को 'आपसी सहायता के माध्यम से स्वयं–सहायता'के आधार पर उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकास को सक्रिय करने के एक ढ़ग के रूप में उपयोग किया गया। हजारों स्वार्थहीन एवं प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की सहायता से ग्रामीण उद्योग, खादी, नई तालीम, कुष्ठरोग कार्य, हरिजन सेवा इत्यादि जैसे विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों की अभिवृद्धि के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का तंत्र तैयार किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् की अवधि ,में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा समजा कल्याण कार्यक्रमों का यह आधार था।

ज्ञात एवं छुपे हुए पूर्ण भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को इस प्रकार गतिमान बनाना कि दिए हुए समय पर व्यक्तियों के रहने की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं में बढ़ोत्तरी योजनाबद्ध विकास का मुख्य उद्देश्य है। सामान्य रूप में, स्वैच्छिक संगठनों की देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करने एवं औद्योगिकरण के खराब प्रभावों के उन्मूलन के लिए व्यक्तियों को तैयार करने में इनकी अपनी भूमिका होती है। यद्यपि स्वैच्छिक संगठन आवागमन एवं संचार में बहुत अधिक भूमिका नहीं रखते हैं लेकिन गाँव की सड़कों के निर्माण एवं अनुरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

समाज कल्याण में स्वैच्छिक सेवाओं का प्रभाव

शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास के विकास एवं जनसंख्या के कमजोर, सुविधावंचित एवं बाधित वर्गों के लिए कल्याण सेवाएँ प्रदान करके तथा उनके शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक बनावट में परिवर्तन के रूप में व्यक्तियों को निर्मित करने के लिए सामाजिक विकास के प्रयास के स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण में वृहत्तर भूमिका रखते हैं। इस प्रकार से, अधिक मात्रा में अपनी भलाई तथा समाज की भलाई करने एवं इसमें योगदान देने की उनकी क्षमता में वृद्धि होती है। यहां पर स्वैच्छिक संगठन

समाज कल्याण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावपूर्ण भमिका का निर्वहन करते रहे हैं तथा अभी भी कर रहे हैं। जबकि समाज कल्याण का क्षेत्र परम्परागत रूप से स्वैच्छिक संगठनों के कार्य कर रहा है, कुछ राज्य कल्याण संगठनों, विशेषकर गरीबी, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध इत्यादि के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों के पूरक के रूप में कुछ राज्य कल्याण संगठनों की भी वृद्धि हुई है। लेकिन, स्वैच्छिक संगठनों के समस्त क्षेत्रों में कल्याण पर बढ़-चढ़ कर बल दिया जाता है क्योंकि इन संगठनों को विशेष रूप से वित्तीय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य की नीति रही है।

सामान्य रूप से, स्वैच्छिक संगठन समाज कल्याण के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। समय एवं स्थिति के अनुसार उपकी बनावट एवं अभिमुखीकरण में परिवर्तन होते हैं। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान, ग्रामदान, श्रमदान, जीवनदान (भूमि, ग्राम, श्रम एवं जीवन की भेंट) के रूप में प्रारम्भ की गई स्वैच्छिक क्रिया से एक बार सफलतापूर्वक व्यक्तियों की सोच की प्रक्रिया में एक प्रकार की क्रान्ति आयी कि कम भाग्यशाली व्यक्तियों के साथ अपनी परिसम्पत्तियों की भागीदारी की जानी चाहिए, यह जोश लुप्त हो चुका है, तथा विज्ञान एवं प्रौद्यिगिकी विकास के साथ जटिल समाज में नयी समस्याओं के उदय ने आने वाली चुनौतियों से निपटने हेतु स्वैच्छिक संगठनों की भूमिकाओं के लिए योगदान दिया है। केरल राज्य में स्वैच्छिक क्रिया के माध्यम से शत-प्रतिशत साक्षरता की उपलब्धि, मादक-द्रव्य व्यावसायियों, वेश्याओं, प्रव्रजकों, आतंकवादी गतिविधियों के शिकार व्यक्तियों के कल्याण के लिए सेवाएँ इसके उदाहरण हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 1000 स्वैच्छिक संगठन कार्यरत हैं तथा इनमें मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कार्यरत संगठनों। का वर्णन नहीं किया गया है।

महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण तथा इस प्रकार के कई अन्य नेताओं ने सामाजिक विकास में स्वैच्छिक क्रियाओं में अपना विश्वास व्यक्त किया है तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के समय सरकारी दस्तावेज़ों में इसको बकायदा मान्यता दी गई है। बलवन्त राय मेहता समिति (1957) के अनुसार, आजकल सामुदायकि विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों एवं इस सिद्धान्त पर कि अन्तिम रूप से व्यक्तियों के इन स्थानीय संगठनों द्वारा पूर्ण कार्य का स्वामित्व लिया जाना है, अधिक बल दिया गया है।" पांचवी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में समाज कल्याण कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं पर अधिकता से विश्वास व्यक्त किया गया तथा राज्य द्वारा इस कार्य के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई। इस प्रकार

स्वैच्छिक संस्थाओं में जो आवश्यक प्राविधिक विशेषज्ञता से युक्त हैं, सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु लाभदायक संस्थाएँ हो सकती हैं।

संक्षिप्त रूप से, स्वैच्छिक संगठनों ने पूर्व में कल्याण सेवाओं के उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है जिसकी मान्यता एवं प्रशंसा जनता एवं सरकार द्वारा की गई है, भविष्य में उनकी अधिक गौरवशाली भूमिका के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होगी। यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि जहाँ व्यक्त एक दूसरे के साथ मिलकर सम्पूर्ण मानवता क लिए कार्य करते है, इसके बिना स्वर्ग नहीं हैं तथा वहाँ नर्क की स्थिति होती है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूसरो की सेवा करने की नहीं सोचता है। भारत में स्वैच्छिकता इस कथन के पहले आधे भाग को स्वीकार करती है एवं इसमे रुचि रखती है तथा निराश्रित, दबे हुए, सुविधावंचित एवं विशेषाधिकार से वंचित–व्यक्तियों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाकर एवं कल्याणकारी राज्य के आदर्शों की प्राप्ति के राज्य के प्रयास में पूरक का कार्य करते हुए इसको प्रमाणित करती है।

सरकार एवं स्वैच्छिक क्रिया

यद्यपि बाहरी अभिकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक क्रिया को नियन्त्रित नहीं किया जाता है, सरकार ने समाज कल्याण के मुख्य साधन के रूप में इसको स्वीकार किया गया है तथा उनकी कार्यात्मकता से सीधे रूप से सम्बद्ध हुए बिना इन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार यह स्वीकार करती है कि स्वैच्छिक संगठन अकेले कल्याण कार्यक्रमों के सम्पूर्ण फैलाव को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अतिरक्त सरकारी नौकरशाही नियमबद्ध तथा रूढ़िवादी होती है जिससे यह उचित नहीं है कि नौकरशाही को सम्पूण विकास कार्य को सौंप दिया जाए। इसलिए छठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि से विकास में गैर–सरकारी संगठनों की सम्बद्धता के विषय में सरकारी सोच में बदलाव दृष्टिगोचर होता है।

जबकि लम्बे समय से सरकार के कल्याण कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं की सम्बद्धता रही है, इसलिए कुछ दशकों से इस सहयोग के क्षेत्र को व्यापक होने का विचार आगे बढ़ता गया। अक्तूबर, 1982 में प्रकधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने समस्त मुख्य मंत्रियों को लिखा था कि राज्य स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के सलाहकारी समूहों की स्थापना की जानी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दस्तावेज़ ने यह

स्पष्ट किया जब इस बात का उल्लेख किया गया कि ग्राम विकास के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संस्थाओं की सम्बद्धता के लिए गंभीर प्रयास किए जाएगे। केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद का गठन स्वैच्छिक समाज सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अन्तिमरूप से, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रभाग का गठन सबसे महत्वपूर्ण है।

सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं की क्रियाओं को समन्वित करने की समस्या केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की क्रियाओं को समन्वित करने की समस्या से कुछ मायनों में अधिक कठिन है। विशेष रूप से समाज कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्रों से भिन्न रूप में, आवश्यकताओं एवं सरकारी तथा गैर–सरकारी संगठनों को समन्वित करने की कठिनाई सभी अधिकता से है। योजना आयेग इन दोनों प्रयासों के मध्य सम्पर्क स्थापित करने के लिए तीन ढंगों से प्रयास करता है :

1) योजना बनाने की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनो को सम्बद्ध करना।

2) गैर सरकारी संगठनों को सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदी देना।

3) अनुदान के कार्यक्रम द्वारा गैर–सरकारी संगठनों की वृद्धि करना।

अनुदान दो तरीकों से वर्तमान संस्थाओं के प्रभावपूर्ण कार्य करने एवं परिवर्तनशील परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में वृद्धि करने में सहायता कर सकती है। वित्तीय एवं सयंत्र के रूप में प्रत्यक्ष सहायता द्वारा उपलब्ध कराना प्रथम ढंग है। दूसरा ढंग वह है जिस तरीके से वर्तमान संस्थाओं का विधिक क्रिया के साथ लगातार सम्बद्ध होना। क्रिया के संबंध में विधान निर्माण द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकार द्वारा सहायता दे सकने का दूसरा महत्वपूर्ण ढंग है। स्वैच्छिक संस्थाएँ यदि वे अपने नाम के अनुरूप हैं तो उनका जन्म स्वैच्छिक प्रयास से होना चाहिए। परन्तु सरकार के लिए यह संभावना है कि वह ऐसी दशाओं को जन्म दे जिसके अन्तर्गत व्यक्त नयी स्वैच्छिक संस्थाओं को संगठित करने के लिए प्रेरित हो सकें।

स्वैच्छिक क्रिया की उदीयमान प्रवृत्तियाँ

अभी तक स्वैच्छिक क्रिया के सैद्धान्तिक पक्षों पर चर्चा की गई है। यह अब अविवादित तथ्य बन चुका है कि समाज कल्याण एवं विकास के लिए स्वैच्छिक क्रिया आवश्यक है, यद्यपि बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठन एवं सरकारी योजनाएँ हैं। आधुनिक समय में स्वैच्छिक संगठनों ने परम्परागत दृष्टिकोण से अलग हटकर कार्य के नए क्षेत्रों को महसूस किया है तथा इसने स्वैच्छिक क्रिया के विषय–क्षेत्र को प्रेरित तथा विकसित किया है। वर्तमान समय में, व्यक्तियों एवं राष्ट्र के विकास के लिए भारत में तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं। इनके कार्य के मुख्य क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दवाइयाँ, बाल एवं महिला कल्याण, मानवाधिकर संबंधी मुद्दे, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन राष्ट्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शान्ति इत्यादि। हाल में, समाज विज्ञानों के सभी अनुसंधानों ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों तथा विकसित एंव धनी देशों की सहायता से गरीबी निवारण तथा सम्सी के लिए भौतिक आवश्यकतों, आत्मनिर्भरता तथा पोषाधर अभिवृद्धि के लिए बड़ी संख्या में उपायों को लिया है विकासशील देश के रूप में भारत से भी आत्मनिर्भर बनने की आशा की जाती है।

मुख्य रूप से बच्चों, महिलाओं एवं बंधुआ मज़दूरों के विषय में मानवाधिकारों का मुददा बहुत ही गम्भीर है। वर्तमान समय में चल रहा नर्मदा बचाओ आन्दोलन, जंगल रंरक्षण आन्दोलन एवं महिलावादी संगठन सभी महिलाओं के अधिकारों तथा शोषण के विरुद्ध न्याय के लिए कार्यरत हैं। इस मामले में ये अभी के उदाहरण हैं। समाज कल्याण एवं विकास की समस्याएँ योजना एंव विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण विषय बन गयी हैं। बहुत से नए संगठन तथा संस्थाएँ भी अस्तित्व में आई हैं। देश के कई भागों में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वैच्छिक नेताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं की पहल के माध्यम से बहुत से नवीन सामाजिक प्रयास किए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में पहले की मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं और नीति एवं क्रियान्वयन के मध्य अन्तरों की अधिक निश्चित रूप से पहचान की गई है। सामाजिक चुनौतियाँ, प्रमुख रूप से अल्पसंख्यकों की असुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय शान्ति समस्या पहले की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। यह रचना अधिक जटिल हो गई है तथा समाज कल्याण का प्रत्येक रूप बहु विधा विशेषीय आयाम का रूप धारण कर चुका है।

सारांश

इस चर्चा से हमने जाना कि स्वैच्छिक क्रिया सामान्य लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं के क्रियान्वयन को सम्पन्न करने की प्रक्रिया है।

इसलिए, स्वैच्छिक क्रियाओं के परिवर्तनशील परिदृश्य को अंगीकृत करने की आवश्यकता है तथा वास्तव में वे अपने दृष्टिकोण तथा क्रियात्मकता के तरीकों में परिवर्तन ला रहे हैं। आजकल, स्वैच्छिक क्रिया केवल दान ही नही है बल्कि कार्यकर्ताओं की दृष्टि से एक व्यवसाय है क्योंकि उन्हें एक अच्छा भुगतान दिया जाता है। आजकल बहुत से अत्यन्त सक्रिय स्वैच्छिक संगठन पूर्ण रूप से उच्च प्रशिक्षित एवं प्रचुर मात्रा में अच्छे भुगतान वाले व्यावसायिक कार्यकर्ताओं से युक्त हैं। इन संगठनों का अलग रूप से दिखने वाला स्वैच्छिक चरित्र इस उत्पाद में है कि उनकी उत्पत्ति एवं प्रबंधन का ढंग किस प्रकार का है न कि वे किस प्रकार के कार्यकर्ता सेवा योजित कर सकते हैं।

इस इकाई के प्रारम्भिक भाग में हमने देखा कि स्वैच्छिक क्रिया का मित्रतापूर्ण संस्थाओं, निराश्रित एवं बाधिक व्यक्तियों के लिए गृहों इत्यादि के रूप में शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में फैलाव हुआ। यद्यपि इनमें से कुछ कार्यों का दायित्व अपने अत्यन्त आवश्यक वित्तीय उत्तरदायित्व एवं अन्य कारणो से राज्य द्वारा अपने ऊपर ले लिया गया है परन्तु औद्योगिकीकरण एंव शहरीकरण के कारण नयी आवश्यकताओं में अभिवृद्धि हुई ताकि इनमें से कुछ आवश्यकताओं की कुछ कारणों से अच्छी प्रकार से पूर्ति की जा सकती है। वास्तव में, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विकसित होने के कारण सरकार किसी भी राजनीतिक विचारधारा की हो, राज्य भविष्य में भूतकाल की तुलना में अपने नागरिकों के लिए अधिक कार्य करने का प्रयास करना चाहेगा। इस उपरिलिखित निष्कर्ष के सन्दर्भ में स्वैच्छिक क्रिया के भविष्य के विषय में विचार किया जाना चाहिए। कम्प्यूटर के इस युग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण इण्टरनेट संचार का आदर्श माध्यम बनता जा रहा है क्योंकि यह अधिक तेज, लागत–प्रभावी एवं पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्ण युक्त है। यह अब स्वीकार किया जाता है कि स्वैच्छिक संगठन गरीब व्यक्तियों एवं गरीबी निवारण कार्य तक पहुँचने में अधिक सफल हैं क्योंकि ये अपनी क्रियात्मकता में छोटे, लचीले नवीन क्रिया युक्त सहभागी एवं कम लागत युक्त होते हैं।

भारत में स्वैच्छिक संगठनों को यदि राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में पंजीकरण की संख्या के आधार पर देखा जाए तो इनकी संख्या एक मिलियन से भी अधिक है तथा ये संगठन इन्टरनेट के संभावित प्रयोगकर्ता के रूप में जागरूक हो रहे हैं। 1998 में कैप (सी ए पी) द्वारा 4508 प्रमुख स्वैच्छिक संगठनों के सर्वेक्षण से यह बात सामने आयी कि समस्त उत्तरदाताओं (20 का 4.5 प्रतिशत ने अपनी वेबसाईट पहले से ही बना रखी हैं वेब स्वैच्छिक संगठनों के लिए नए संभावित क्षेत्रों में कार्य करने, सूचना आदान-प्रदान करने एवं संसाधन के अवसरों को सामने लाती है। सूचना का यह वृहत्तर सर्वमान्य मार्ग स्वैच्छिक संगठनों को स्वास्थ्य, विकास एंव कल्याण के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के नए मार्ग के रूप में हो सकता है। ऐसी आशा की जाती है कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सम्बद्ध स्वैच्छिक संगठनों एवं दान संबंधी संगठनों द्वारा गरीबों की सहायता के लिए इन्टरनेट की सुविधा एवं गति तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एवंपूर्ण प्रयोग किया जायेगा जिससे भारत में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की गति में बढ़ोतरी होगी।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

बिस्नों, हर्बर्ट (1982), दि फिलास्फी ऑफ सोशलवर्क, वाशिंगटन, डी सी, पब्लिक अफेयर्स ब्यूरो।

क्लार्क सी० अस्क्यूथ एस· (1985), सोशलवर्क एण्ड सौशल फिलास्फी, रटलेज एण्ड वेगनपाल, लन्दन।

पाठक, एस. (1981), सोशल वेलफेयर, एन एवल्यूशनी डेवलपमेन्ट पर्सपेक्टिव, न्यू दिल्ली मैकमिलन इण्डिया।

कुलकर्णी पी.डी. एंड समसी नानावती (एडीटिक) (1991), सौशल रिफार्म मूवमेन्टस इन इण्डियाः ए हिस्टारिकल पर्सपेक्टिव, पापुलर प्रकाशन, बम्बई।

इवा, शिन्डेल लिपिट, रोनाल्ड (1977), दि वाल्टण्टिया कम्युनिटी, यूनिवर्सिटी रेवीनन एण्ड असोसिएटस इन्ड, कैलीफोर्निया।

हो एण्ड जोन्स (1975), टुअर्डस ए न्यूसोशलवर्क, रटलेज एण्ड केगनपाल, लन्दन।

रानाडे, एस.एन. (1974), वालेन्टरी एक्शन एण्ड सोशल वेल्फेयर इन इण्डिया, वालेन्टरी एक्शन रिसर्च, डेविड हारटन स्मिथ, जेक्सीटन बुक्स, लन्दन।

मुखर्जी, के. के. एण्ड मुखर्जी स्तूपा (1988), वालेन्टरी आर्गनाइजेशन्स : सम पर्स्पेक्टिव, गांधी पीस सेन्टर, हैदराबाद।

चौधरी, डी. पी. (1981), प्रोफाइल ऑफ वालेन्टरी एक्शन इन सोशल वेल्फेयर डेवलपमेन्ट, सिद्धार्थ, न्यू दिल्ली।

क्रैन्डा, एम. (1985), वालेन्टरी एसोसिएशन एण्ड लोकल डेवलपमेण्ट, यंग इण्डिया फाउण्डेशन न्यू दिल्ली।

भट्टाचार्या, संजय : सोशलवर्क (2003), एन इन्टीग्रेटेड अप्रोच, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स (प्रा०) लिमिटेड, न्यू दिल्ली।